न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक: 24.9.2025

मुकदमा नम्बर 65/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/132

1. सम्मानसिंह
2. सोहनसिंह
3. सुमेरसिंह

पुत्रगण रतनसिंह जाति राजपूत निवासीगण कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण —

बनाम

1. करणीसिंह पुत्र मुकनसिंह
2. सम्पतसिंह पुत्र मुकनसिंह

जाति राजपूत निवासीगण कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3. मैसर्स एनकन्यू वन प्राईवेट लिमिटेड, 378—379 उद्योग विहार, पेज संख्या 4, पालम रोड़, गुड़गांव राज्य हरियाणा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान ज़रिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पुरांना खाता नम्बर 70 के खसरा नम्बर 338/83 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा जिसका बाद में खसरा नम्बर 125 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 354/123 तादादी 32 बीघा 3 बिस्वा बाद में सम्वत 2045 में खसरा नम्बर 140 तादादी 32 बीघा 3 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान व खसरा नम्बर 157 तादादी 6.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 तादादी 1.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 तादादी 0.7500 हैक्टेयर रोही कीतासर, बीदावतान की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के पूर्वज भूरसिंह के नाम से थी। भूरसिंह के दो पुत्र गुकनसिंह व रतनसिंह हुये प्रार्थीगण रतनसिंह के वारिसान है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 गुकनसिंह के वारिस है। भूरसिंह के खेतो की रतनसिंह व गुकनसिंह में बराबर पांति होनी चाहिये थी। रतनसिंह गोली प्रवृति के थे, गुकनसिंह होशियार थे, इसलिये परिवार के कर्तमकर्ता मुकनसिंह थे। गुकनसिंह ने पैतृक खेतो में से खेत खसरा नम्बंर 165 की 2.9100 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 156 की 8.1300 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली तथा खेत खसरा नम्बर 157 तादादी 6.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 तादादी 1.1500 हैक्टेयर 159 तादादी 0.7500 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान की खातेदारी रतनसिंह के नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार पैतृक खेतो में से 11.0400 हैक्टेयर की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली तथा 8.1200 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह के नाम करवा दी जबकि वर्णित खेतो की 1/2 हिस्सा की खातेदारी मुकनसिंह व 1/2 हिस्सा की खातेदारी रतनसिंह के नाम होनी चाहिये थी। वर्णित खेतो की कुल भूमि तादादी 11.04+8.1200=19.1600 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 9.5800 हैक्टेयर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (मोहर)

खातेदारी मुकनसिंह के नाम तथा 1/2 हिस्सा यानि 9.5800 हैक्टेयर की खातेदारी रतनसिंह के नाम होनी चाहिये थी, परन्तु मुकनसिंह के नाम दर्ज खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टब्यर, खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर कुल 11.0400 हैक्टेयर जमीन जो मुकनसिंह के नाम दर्ज हो गई, इस ज़मीन में 1.4600 हैक्टेयर हिस्सा रतनसिंह का और बनता है। मुकनसिंह व रतनसिंह की मृत्यु हो गई है। रतनसिंह के नाम दर्ज पैतृक जमीन खसरा नम्बर 157, 158, 159 की खातेदारी रतनसिंह के वारिसान होने के नाते प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई तथा मुकनसिंह की मृत्यु के बाद मुकनसिंह के नाम दर्ज पैतृक खेत खसरा नम्बर 165, 156 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज का बैजा गलत फायदा उठाते हुये खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान का विक्रय पत्र महावीरसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत निवासी कीतासर बीदावतान के नाम करवा दिया तथा खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के लीज कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता मुकनसिंह के नाम 1.4600 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज हो गई, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान को महावीर सिंह को विक्रय कर दिया है, इसलिये अप्रार्थी के पिता मुकनसिंह के नाम ज्यादा दर्ज 1.4600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर में से लेने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 156, 165 की कुल तादादी 11.0400 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का 1.4600 हैक्टेयर भूमि पर ज़ायज हक बनता है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी है, इसलिये प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 156 में से 1.4600 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाकर अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाकर अलग लगान कायम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार कहा कि आपके पास कीतासर बीदावतान की रोही में स्थित पैतृक भूमि में 1.4600 हैक्टेयर भूमि ज़्यादा है। खसरा नम्बर 165 तो आपने विक्रय कर दिया है, इसलिये आप खसरा नम्बर 156 में से हमे हमारी 1.4600 हैक्टेयर भूमि देवो तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शुरू में तो खसरा नम्बर 156 में से 1.4600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण को देने का आश्वासन देते रहे । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी पर भरोसा कर लिया, इसी दरम्यान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर भूमि रोही कीतासर बीदावतान को अप्रार्थी संख्या 3 के यहां लीज रख दिया और दिनांक 30.04.2025 को प्रार्थीगण को उनके हिस्सा की 1.4600 हैक्टेयर भूमि देने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण बहुत ही होंशियार व साधन सम्पन्न व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 156 में से 1.4600 हैक्टेयर भूमि से वंचित करने के लिये कुछ भी कर सकते है । प्रार्थीगण के पास अपने अधिकारो की रक्षा के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है । वादगत खसरा नम्बर 156 वाकेरोही कीतासर बीदावतान प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 156, 165 कुल तादादी 11.0400 हैक्टेयर में 1.4600 हैक्टेयर भूमि पर जायज हक बनता है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की जायज हक हिस्से की भूमि को खुर्द-बुर्द व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर आमदा है, अगर अप्रार्थीगण इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Saini
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

त्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदातवान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के 1.4600 हैक्टेयर भूमि को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकील ना करे, ना ही प्रार्थीगण के हक हिस्से की 1.4600 हैक्टेयर को खुर्द–बुर्द करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे, जो वादीगण के हितो पर विपरित असर पड़ता हो तथा तादावा फैसला वादगत खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर वाकेरोही कीतासर बीदावतान की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है वो पहले से ही वाद/प्रार्थना पत्र में मौजूद है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने [illegible] बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9[illegible] हैक्टेयर [illegible] कीतासर को भूरसिंह व सुजानसिंह पुत्रगण पूर्णसिंह से अप्रार्थीगण के पिता [illegible]सिंह ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1968 को खरीद किया है एवं खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर आपसी पारिवारिक विभाजन में अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से पांती में आया हुआ है जिसके बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

र्थीगण के पिता रतनसिंह के हिस्से पांती में खसरा नम्बर 157, 158, 159 कुल तादादी 8.200 हैक्टेयर हिस्से पांती में आया हुआ है। विभाजन के अनुसार प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह व अप्रार्थी के पिता मुकनसिंह के बराबर बराबर भूमि हिस्से पांती में आयी हुई है प्रार्थीगण द्वारा यहा गलत तथ्यो का वर्णन किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है। वादगत खेतो में से खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत है तथा खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 157, 158, 159 कुल तादादी 8.1200 हैक्टेयर जो मुकनसिह के 8.1300 हैक्टेयर एवं रतनसिंह के 8.1200 हैक्टेयर बराबर बराबर भूमि हिस्से पांती में आयी हुई है प्रार्थीगण द्वारा तथ्यो को छुपाते हुए गलत तथ्य ब्यान किये है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है वादगत खेतो में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर जो मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत था को हर प्रकार से हस्तान्तरण का अधिकार अप्रार्थीगण को है एवं खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर जो मुकनसिंह को विभाजन में बराबर हिस्से के रूप में प्राप्त होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ है जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का अप्रार्थीगण को हक अधिकार हासिल है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का हक हासिल नही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है वादगत खेतो में से खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर जो अप्रार्थीगण के पिता मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत है तथा पैतृक खेतो में से खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर मुकनसिंह के हिस्से में एवं खसरा नम्बर 157,158,159 कुल तादादी 8.1200 हैक्टेयर रतनसिंह के हिस्से पांती में आया है जो बराबर बराबर हिस्से पाती में आये हुए है खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत होने के कारण प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है प्रार्थीगण के पास पैतृक खेतो में से बराबर हिस्सा प्राप्त हो चुका है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खरीदशुदा खेतो में किसी भी प्रकार से हक प्राप्त नही कर सकते इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है । प्रार्थीगण को पैतृक हिस्सा की भूमि में से अप्रार्थीगण के पिता के बराबर भूमि प्राप्त हुई है शेष भूमि अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है । प्रार्थीगण द्वारा मनगढत तथ्यो का सहारा लेकर यह तथ्य अंकित किये है जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है प्रार्थीगण को पैतृक बराबर हिस्सा दर्ज हुआ है इसलिए प्रार्थीगण का किसी भी तरह का हक नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 अस्वीकार है। पैतृक भूमि में से प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह को 8.1200 हैक्टेयर भूमि एवं अप्रार्थीण के पिता मुकनसिंह को 8.1300 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है शेष भूमि अप्रार्थीगण के पिता मुकनसिंह की खरीदशुदा भूमि है प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर अप्रार्थी के पिता की खरीदशुदा भूमि है एवं खसरा नम्बर 156 तादादी 8.1300 हैक्टेयर के बराबर प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह को खसरा नम्बर 157, 158, 159 कुल तादादी 8.1200 हैक्टेयर प्राप्त हुई है अप्रार्थीगण के पिता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रा खसरा नम्बर 165 खरीदशुदा होने एवं खसरा नम्बर 156 विभाजन में बराबर हिस्से ती का होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित हो रही है इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण का दावा गलत आधारो पर पेश किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। वादगत खेतो में खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर जो मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत था को हर प्रकार से हस्तान्तरण का अधिकार अप्रार्थीगण को है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का हक हासिल नही है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड लीज डीड की है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के पिता मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत्त होने एवं अप्रार्थी संख्यां 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड लीज डीड होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। वादगत खेतो में से खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर जो अप्रार्थीगण के पिता मुकनसिंह का खरीदशुदा खेत है खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर मुकनसिंह का खरीदशदा खेत होने के कारण प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीगण के पास पैतृक खेतो में से बराबर हिस्सा प्राप्त हो चुका हैं प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खरीदशुदा खेतो में किसी भी प्रकार से हक प्राप्त नही कर सकते इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का खरीदशुदा खेत होने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में लीज डीड की गई हैं जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है । प्रार्थीगण द्वारा मनगढत तथ्यो का सहारा लेकर यह तथ्य अंकित किये है जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही है प्रार्थीगण का किसी भी तरह का हक नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। पैतृक भूमि में से प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह को 8.1200 हैक्टेयर भूमि एवं अप्रार्थीण के पिता मुकनसिंह को 8.1300 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है शेष भूमि अप्रार्थीगण के पिता मुकनसिंह की खरीदशुदा भूमि है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। खसरा नम्बर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा भूमि है जिसको अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लीज पर लेकर उसमें सोलर प्लाट लगाया जा रहा है अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा खसरा नम्बर 165 खरीदशुदा होने एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में लीज डीड होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित हो रही है इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2015(2) Rev. अवतार खान बनाम मेहरबानो व अन्य RRD 14.4.2016 नसीब कौर बनाम रामेश्वरीदेवी वगै. पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का वलोकन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 खेत खसरा नंबर 156 तादादी 8.1300. क्टेयर के रिकार्डेड खातेदार है व खेत खसरा नंबर 165 तादादी 2.9100 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पिता के द्वारा खरीदशुदा भूमि है। जिसको अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा लीज पर लिया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के पिता वादगत खसरान भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीयक्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:02:52 IST
Reason: SelfAttested